न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 489/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
धन्नाराम पुत्र स्वरूपराम जाति जाट निवासी ग्राम हूडासर तारातरा, तहसील चौहटन जिला बाडमेर		1– रूखमो देवी पुत्री जोराराम 2– तुलछांराम पुत्र जोराराम दोनो जातियान जाट निवासीगण ग्राम हूडासर, तारातरा तहसील चौहटन जिला बाडमेर 3– ग्राम पंचायत तारातरा जरिये सरपंच, तहसील चौहटन जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–6–2016 जो उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा राजस्व अपील संख्या 23/2015 अनवान रूखमोदवी बनाम ग्राम पंचायत वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री हापूराम विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 28–3–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 160 ग्राम पंचायत तारातरा मे वर्णित कृषि भूमि के खातेदार जोरा पुत्र जेठा कौम जाट था जिसके फोत होने पर उसके खातेदारी की भूमि का फोतदेगी नामांतरकरण उसके लडके सरूपा, तुलछा पि0 जोरा कौम जाट के पक्ष मे भरा जाकर प्रस्तुत किया गया जिसे सरपंच ग्राम पंचायत तारातरा द्वारा दिनांक 15–2–68 को स्वीकृत किया । उक्त नामांतरकरण संख्या 160 के विरूद्ध रेस्पो0 सख्या 1 रूखमोदवी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील यह कथन करते हुए पेश की कि वह मृतक खातेदार जोरा राम की जायंदा पुत्री है तथा उसके पिता के खातेदारी की भूमि मे उसका भी पुत्रो के समान बराबर का अधिकार होते हुए उसे अपने पिता के खातेदारी की भूमि से वंचित रखते हुए उक्त म्युटेशन केवल दो पुत्रो के नाम स्वीकृत कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–6–2016 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत तारातरा तहसील चौहटन द्वारा नामांतरकरण संख्या 160 पर पारित किया गया आदेश दिनांक 15–2–68 को निरस्त करते हुए स्व0 जोराराम की फोतेदगी का नामांतरकरण नये सिरे से अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 2 व 3 के नाम पारित करने का आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि

अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट का नोटिस तामिल करवाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय रेस्पो0संख्या 1 रूखमो पुत्री जोराराम व तुलछाराम पुत्र जोराराम ने आपसी दुर्भिसंधि करते हुए अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपीलाधीन आदेश हासिल किया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं एवं अपीलाधीन निर्णय मे कही भी अपीलांट के नोटिस की तामिली होने का उल्लेख नही है और न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो मे अपीलांट का तामिलसुदा नोटिस ही उपलब्ध है, ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना वर्ष 1968 मे स्वीकृत हुए नामांतरकरण को लगभग 47 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत अपील मे बिना विलंब का कोई संतोषजनक कारण उल्लेख किये धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित किये ही अपील को स्वीकार कर 47 वर्ष पूर्व स्वीकृत नामांतरकरण को निरस्त करने बाबत जो निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को सुने बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है इसलिए अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नही हो सकी इसलिए अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलंब को क्षमा करने का निवेदन किया जिसके लिए अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गय है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–6–2016 को निरस्त करने तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 160 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय से राजस्व लोक अदालत केम्प तारातरा के नोटिस जारी हुए थे जिसका जिक्र अपीलाधीन निर्णय मे भी किया हुआ है, नोटिस जारी होने पर भी वर्तमान अपीलांट लोक अदालत केम्प मे उपस्थित नही होने पर शेष की उपस्थिति मे अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 व 3 अधिवक्ता ने कथन किया कि मृतक खातेदार जोराराम के तीन संताने थी जिनमे 2 पुत्र सरूपाराम, तुलछाराम एवं 1 पुत्री वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 रूखमो है परंतु खातेदार जोराराम के फोत होने पर भरे गये फोदेदगी के म्युटेशन मे मृतक के वारिसान की जांच किये बिना केवल दो पुत्रो के नाम म्युटेशन स्वीकृत कर दिया जबकि तीनो का अपीलाधीन भूमि मे बराबर का हक अधिकार था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय मे न्यायहित मे स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 160 को निरस्त करते हुए स्व0 जोराराम का नये सिरे से नामांतरकरण अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 2 व 3 के नाम पारित करने का जो आदेश

पारित किया है, वह विधि एवं न्यायसंगत होने से उसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 160 तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 160 जो कि खातेदार जोराराम के फोते होने पर फोतेदगी का उसके दो पुत्रो वर्तमान अपीलांट के पिता सरूपाराम एवं रेस्पो0 संख्या 2 तुलछाराम के पक्ष मे वर्ष 1968 मे स्वीकृत किया गया था जबकि उस वक्त मृतक खातेदार जोराराम की पुत्री तथा वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 रूखमो जीवित थी तो अपीलाधीन म्युटेशन मे विधिक वारिस होने से उसका भी नाम दर्ज किया जाना चाहिये था परंतु नही किया गया ।

रेस्पो0 संख्या 1 रूखमो पुत्री स्व0 जोराराम ने उक्त म्युटेशन संख्या 160 जो वर्ष 1968 मे स्वीकृत हुआ था, के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे लगभग 47 वर्ष के विलंब से अपीलाधीन म्युटेशन मे वर्णित भूमि मे अपना अधिकार होने का कथन करते हुए म्युटेशन अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर पत्रावली नोटिस एवं जवाब मे चल रही थी, जिसमे लगातार सीलनुमा आदेशिकाओ से कमशः दिनांक 15–10–15, 19–11–15, 10–12–-15, 7–1–16, 10–3–16, 7–4–16 एवं 25–5–16 से पेशी इल्तवा होती रही तथा अंतिम आदेशिका दिनांक 25–5–16 भी सीलनुमा जिसमे पत्रावली लोक अदालत केम्प मे दिनांक 3–6–2016 को रखने का आदेश था तथा पत्रावली उक्त दिनांक 3–6–-2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प तारातरा मे रखते हुए अपील का निर्णय पारित किया गया है ।

उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत वर्तमान अपील मे अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि उसे बिना नोटिस तामिल कराये तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

इसके अलावा अपीलांट का यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 2 तुलछाराम ने दुर्भिसंधि करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 रूखमा की अपील को स्वीकार करने तथा अपीलाधीन म्युटेशन जो कि वर्ष 1968 मे स्वीकृत हुआ था, वह दूषित नामांतरकरण होना बताते हुए खारीज करने बाबत लिखित सहमति प्रकट कर दी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से खारीज करने का निवेदन किया है ।

इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान अपीलांट के नोटिस तामिल होकर प्राप्त होना नही पाया जाता है और न ही अपीलांट के नाम जारी नोटिस तामिल/अदम तामिल की रिपोर्ट के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे केम्प के नोटिस जारी किये जाना तथा तामिलसुदा प्राप्त होने का जो उल्लेख करते हुए जो निर्णय पारित किया है, वह रेकर्ड से सही नही है तथा अपीलांट के इस कथन की भी पुष्टि होती है कि उसे अधीनस्थ

न्यायालय मे नोटिस तामिल ही नही हुआ तथा सुनवाई का अवसर नही मिला । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–6–2016 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट, रेस्पो0 एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 28–3–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर